

पत्रांक-8/34-11/2008-2122

झारखण्ड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रश्नक

श्री कुलवंत सिंह

विशेष सचिव,

मानव संसाधन विकास विभाग,

झारखण्ड, रांची।

सेवा में,

सचिव,

सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली।

रांची दिनांक - 9.10.2008

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से संबंधित हेतु सशर्त अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

संदर्भित विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य के अन्तर्गत संचालित गुरु गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, धनबाद को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रोलिखित शर्तों एवं दम्भों के अधीन सशर्त अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय आदेश संख्या-1055, दिनांक 05.09.2001 के अलोक में निम्नलिखित शर्तों एवं दम्भों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय सम्पत्ति किसानों के भवन में चल रहा है तथा 30 वर्ष के लिए नोटरी द्वारा लीज पर है। विद्यालय को अपनी भूमि नहीं है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार भवन एवं प्रशिक्षित शिक्षकों सबंधी कर्मियों को एक वर्ष के अन्तर पूरा करना होगा। स्वतंत्र हस्तान्तरण अभिलेख में लीज डीड या गिफ्ट डीड निर्वाहित होना आवश्यक है। तदनुसार लीज डीड जो नोटरी द्वारा किया गया है इसे निबधित कराना होगा। (विद्यालय प्रबंध का शपथ पत्र संलग्न है।)

2. विद्यालय की वार्षिक बचत आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय स्वयं-आर्जन करने के लक्ष्य में स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होवे उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास के लिए होगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम सशर्त परस्पर से कार्यरत समस्त कर्मियों को वेतन एवं भत्तों के बावजूद मुक्तान कम्पन होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय में किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।

संस्था द्वारा समझाया है कि संस्था का संस्थान या अपेक्षा-

SK Pradhan

Principal

विभाग, धनबाद,

Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad

Principal

Guru Gobind Singh Public School

PRINCIPAL

DEV PUBLIC SCHOOL
DHORI COL. CENTRAL COLONY
DHORI COL. CENTRAL COLONY

5. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
6. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 (दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 (तीस) वर्षों के निर्बंधित जमीन/लीज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जंगल/परान्त भिन्न स्थिति पायी जाएगी तो अनिवार्य प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा।

7. गरीबी रेखा से नीचे छात्र/छात्राओं लिए 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा। साथ ही उनसे सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाये।

8. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्रहित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का सच्चा नैतिक तथा सरकार के सांस्कृतिक विकास हेतु सकारात्मक प्रदान करना होगा।

9. विद्यालय की छात्रों की सम्बन्धित संख्या एवं संसर्ग अनुपात में शिक्षक संख्या होने चाहिए।

10. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

11. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यवधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

12. राज्य, केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन प्रोग्राम तथा एन सी सी, स्कोर, एन गाइड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।

यदि जो संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1355 दिनांक-5.9.2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा।

13. उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनिवार्य प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14. यदि अनिवार्य प्रमाण पत्र के लिए विद्यालयों द्वारा समर्पित कामकाज अभिलेखों को जाली या वस्तुस्थिति से भिन्न बनाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्रहित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कद्रता फैलती हो सरकार निर्णय अनिवार्य प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।

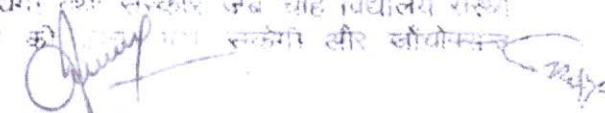
15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन किया जा रहा हो अथवा नहीं है इसकी जाँच समय-समय पर मन्त्रालय विकास विभाग, राज्य के मुख्य कार्यपालक द्वारा की जाएगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था को निलंबित कर जमीन/परान्त भिन्न स्थिति पायी जाएगी तब सी.बी.एस. के तहत कार्य कर सकती है।

PRINCIPAL
DAV PUBLIC SCHOOL
GURU COL CENTRAL COLONY
DHANBAD JHARKHAND
3430029

21/2

9/10/21


Principal
Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad


Principal
Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad

... के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

18 समय-समय पर लोक हित में सरकार द्वारा विद्यालय संबंधन संबंधी जो निर्णय लिए जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शांति का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

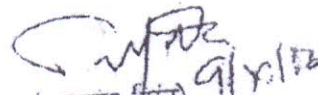
19-20 प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(कुलवंत सिंह) 9/10/06

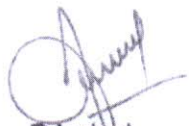
सरकार के विशेष सचिव।

आंक 2122 / रैंची दिनांक 9.10.06
मुख्य उप शिक्षा निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग / सहित
जिला शिक्षा पदाधिकारी / प्राचार्य गुरु गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, धनबाद को
सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

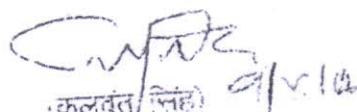

(कुलवंत सिंह) 9/10/06

सरकार के विशेष सचिव।

आंक 2122 / रैंची दिनांक 9.10.06
प्रतिनिधि माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रैंची के आदेश
अनुसार / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनाएं
प्रेषित।


Principal

Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad


(कुलवंत सिंह) 9/10/06

सरकार के विशेष सचिव।



Principal
Guru Gobind Singh Public School
Dhanbad

PRINCIPAL
DAV PUBLIC SCHOOL
DHORI, CCL CENTRAL COLONY
P.O.-PHUGRO, BOKARO (JH)
CBSE AFFIL. No. 3430029

